an>

Title: Regarding deadline for the implementation of Food Security Act.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इस सम्मानित सदन ने पारित किया, हम और आप उसके साक्षी हैं, पूर्व सरकार ने उसे राज्यों में लागू नहीं किया। इसमें कहा गया था कि 70 परसेंट लोगों को एक रुपए में मोटा अनाज, दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया जाएगा। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने दो बार चेतावनी दी, समय सीमा का विस्तार किया क्योंकि यह वादा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर परिवार को, चाहे कोई मजदूर है, एक महीने का 35 किलो अनाज ले सकता है। अगर उसकी आय न्यूनतम आय से भी कम होगी तब भी कोई परिवार भुखमरी का शिकार नहीं होगा। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि 4 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डैड लाइन दी कि अगर यह नहीं लागू होगा तो गरीबी की रेखा से ऊपर या एपीएल परिवार के लोग, जिनको खाद्यान्न सब्सिडी के आधार पर मिलता है, 5 अप्रैल से बंद हो जाएगा। इस तरह से निश्चित तौर पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राज्यों में इसे लागू किया जाए। धन्यवाद।